Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 02

DOI: 10.46523/jarssc.04.02.09
Multidisciplinary, Open Access

आरक्षण और अम्बेडकर एक पुनर्मूल्यांकन

डॉ. अर्चना मिश्रा

असि0 प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग) शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ

प्रस्तावना

सदियों से चले आ रहे अधिकारहीन व्यक्तियों की प्रस्थिति में विशेषकर अनुसूचित जातियों और उन जातियों और वर्गों में जिन्हें जन्म के संयोग से नीचा दर्जा दिया है, सुधार लाना और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना किसी भी सभ्य समाज का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य रहा है जिससे उनको समाज के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समानता, संरक्षण और सुरक्षा तथा उनके विविध अधिकारों को बढ़ावा मिल सके। इस दिशा में भारतीय समाज में लम्बे समय से व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं, अन्याय तथा शोषण के विरूद्ध समय–समय पर अनेक सामाजिक मनीषियों तथा चिन्तकों द्वारा आवाज मुखरित होता रहा है जिसमें डॉ० भीमराव रामजी अम्बेडकर का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

डॉ० भीम राव रामजी अम्बेडकर का योगदान

बाबा साहेब डॉ० बी० आर० अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जिसे भारत के सभी धर्म और समुदाय के लोग जानते हैं। दलित शोषित समाज के लोग तो उन्हें अपना मसीहा ही मानने लगे हैं। जिसके पीछे अम्बेडकर द्वारा दलित समाज के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक कार्यों का विशेष योगदान है। क्योंकि उन कार्यों से दलित का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन ही बदल गया। ध्यातव्य है कि 1916 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयार्क अमेरिका में आयोजित डॉ० ए०ए० गोल्डेन बाइजर, गोष्ठी में डॉ० अम्बेडकर द्वारा भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास विषय पर लिखकर पढ़ा गया एक शोधपूर्ण लेख उनकी चेतना की प्रथम चिन्गारी थी। जिसमे मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष का रूवरूप तो नहीं था परन्तु मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध कम्युनिज्म जैसा आक्रोश अवश्य था। डॉ० अम्बेडकर का जीवन भारत के सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता के निवारण के लिए जीवनभर संघर्ष किया उनके अनुसार राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार आवश्यक है जिसको उन्होंने स्वयं अपने जीवनकाल में अनुभव किया था। अम्बेडकर ने हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया तथा यह कहकर आलोचना की कि यह व्यवस्था असमानता पर आधारित है जिसके कारण अन्य वर्ग अपने सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित है तथा यही उनके शोषण का कारण और राष्ट्रीय

Received: 17.08.2021 **Accepted:** 24.09.2021 **Published**: 24.09.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.04.02.09
Multidisciplinary, Open Access

एकता के लिए एक गम्भीर खतरा भी है। अतः अम्बेडकर ने इस दिशा में चिन्तन किया तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करके राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महान प्रयत्न करते हुए उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मन्दिरों, कुओं तथा तालाबों के प्रयोग का अधिकार दिलाया तथा महार वतन कानून का विरोध किया जो महाराष्ट्र के महारों के बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता था। साथ ही उन्होंने समता सैनिक दल और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था।

डॉ० अम्बेडकर दलितों तथा अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। उनका विचार था कि मुसलमानों की भाँति अछूतों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। अम्बेडकर की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनके 1931 में लन्दन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया। यहाँ उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रम्जे मैक्डोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैम्जे मैक्डोनाल्ड ने अपने साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की. जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमण्डलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गयी जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मण्डलों द्वारा किया जाना था मुसलमान और सिक्ख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नये कानून के अन्तर्गत दलित को अल्पसंख्यक मानकर हिन्दुओं से अलग कर दिया गया। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाधिका देने के प्रबल विरोधी महात्मा गांधी ने आशंका जतायी कि अछूतों को दी गयी पृथक निर्वाचिका हिन्दू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिए विभाजित कर देगी, तब गांधी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेन्ट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। फलतः पं० मदन मोहन मालवीय ने दलित वर्ग लीग के नेता डॉ० बी० आर० अम्बेडकर सहित विभिन्न जातियों एवं राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में अन्ततः गांधीजी के उपवास के छठे दिन 24 सितम्बर, 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसमें दो शर्तों के आधार पर सामान्य निर्वाचन मण्डल बनाये जाने के सम्बन्ध में सहमति हुई। ये दो शर्तें थी प्रथमतः विभिन्न प्रान्तीय विधानमण्डलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गयी जबकि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था की गयी थी। दूसरे, केन्द्रीय विधान मण्डल में 18 प्रतिशत सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गयी।

Received: 17.08.2021 **Accepted:** 24.09.2021 **Published**: 24.09.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.04.02.09
Multidisciplinary, Open Access

इतना ही नहीं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात डॉ० बी० आर अम्बेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतीय संविधान में दलित जातियों के लिए अनेक विशेषाधिकार शामिल किये गये हैं। जिनमें अनुच्छेद 15(4) के तहत उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 16 (4) के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अन्त मुख्य है। इनके अलावा स्थानीय स्वशासन की इकाइयों (पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों) में अनुच्छेद 243 डी0 और 243 टी० के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है।

अनुच्छेद 330 के तहत संसद में दलित के लिए 79 और आदिवासियों के लिए 41 निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह अनुच्छेद 332 के तहत देश की 30 विधान सभाओं के कुल 4120 निर्वाचन क्षेत्रों में से 607 क्षेत्र अनुसूचित जातियों, 554 क्षेत्र जनजातियों हेतु सुनिश्चित किये गये है।

इस तरह यदि देखा जाय तो डॉ० अम्बेडकर अछूत तथा दलितों के लिए समर्पित सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे। उनका उद्देश्य अछूतों, दलितों तथा श्रमिकों का उत्थान करना तथा सामाजिक भेदभाव मिटाकर समानता स्थापित करना था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम उन्हीं की देन है। वे प्रबल देश भक्त तथा राष्ट्र की एकता के लिए प्रबल समर्थक थे इसीलिए कहा जाता है कि,[६] डॉ० अम्बेडकर एक समाज सुधारक थे, न कि एक राजनीतिज्ञ।

पुनर्मूल्यांकन

आजादी के 65 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात आज पुनः इस विषय का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर डॉ० बी० आर० अम्बेडकर ने भारत में शोषित और उत्पीडित वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक तथा विधिक सुरक्षा के अलावा सिर्फ 10 वर्षों के लिए आरक्षण की वकालत की थी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सरकारी विधेयकों कानूनों व आदेशों के पास होने से अनुसूचित जातियों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने की दिशा में अनेक सुविधाएँ तथा अवसर मिले हैं। अनुसूचित जातियों में नई सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ है। आज यह वर्ग सवर्ण जातियों के साथ समानता के स्तर पर राजनीतिक अधिकारों का सुखद अनुभव कर रहा है। परम्परागत रूप से करते आ रहे पेशे को त्यागकर सवर्णों की तरह काम–काज तथा नाम–उपनाम रखना भी शामिल है। शिक्षा के स्तर में भी सुधार आया है। 1931 में जहाँ दलित की साक्षरता दर 1.9

Received: 17.08.2021 **Accepted:** 24.09.2021 **Published**: 24.09.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.04.02.09
Multidisciplinary, Open Access

प्रतिशत थी 2001 में बढ़कर 54 प्रतिशत हो गयी है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कारण इनका प्रतिनिधित्व 12 प्रतिशत हो गया है। सरकार द्वारा समय–समय पर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा इनकी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में न केवल उल्लेखनीय सुधार हुआ है, अपितु उनमें आत्मसम्मान का भाव भी पैदा हुआ है।

किन्तु जैसे ही हमारी दृष्टि क्राइम इन इण्डिया (1998: 181) की रिपॉट पर पड़ती है हमें इस वर्ग का दूसरा पहलू दिखाई पड़ता है। और हम पाते है कि पुलिस द्वारा दर्ज अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या 1955 में 180, 1960 में 509, 1972 में 1515, 1979 में 13,884, 1987 19342, 1992 21,796, 1995 32,996, 1996 31, 440, 1997, रु27,944 और 1998 में 25,638 की तुलना में 2006 में 27,070, 2007 में 30031, 2008 में 33 615, 2009 में 33,594, 2010 में 32712 कमोवेश उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई है। जिनमें से वर्ष 2010 में 1.74 प्रतिशत केस हत्या के 4.12 प्रतिशत केस बलात्कार के 1.56 प्रतिशत के अपहरण के और बलपूर्वक भगा ले जाने के 13.38 प्रतिशत केस क्षति पहुँचाने के तथा 32.14 प्रतिशत के अ.ज. नृशंसता (Prevention of atrocities) एक्ट के थे। इसी तरह सरकारी सुविधाओं से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ तो अवश्य हुआ परन्तु इन लाभों और कार्यक्रमों से इन जातियों के विकास का स्तर समानान्तर नहीं हुआ है। देखा यह गया है कि, इस वर्ग में पहले से ही जो सम्पन्न और जागरूक थे, वे ही इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे है। अर्थात् एक अल्पसंख्यक वर्ग ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो उच्च शिक्षा और उच्च पद प्राप्त कर रहा है। इस अभिजात वर्ग का न केवल लोकतांत्रीकरण हुआ है बल्कि यह आधुनिक बनकर उच्च स्तरीय जीवन यापन भी कर रहा है। यह वर्ग न केवल अपने भूतकाल को भूलना चाहता है, बल्कि अपनी जातियों के परम्परागत निम्न कार्य करने वालो के साथ उठना बैठना और रहना भी नहीं चाहता है। कहने का आशय यह है कि अब उनका शोषण कम से कम भावनात्मक तौर पर तो अधिकांशतः वे लोग ही कर रहे है, जो संयोग से उन्हीं के वर्ग के है। कुछ ही परिवार व जातियाँ इन छः दशकों में इसका लाभ उठा पायी है जबकि उनके साथ की अन्य जातियाँ अब भी इससे महरूम है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 की सच्चाई यह है कि गाँवों में अस्पृश्यों की बस्तियाँ आज भी सवर्णों से पृथक होती है। जनसंख्या बढ़ने से चाहे आवासीय दूरियाँ कम हुई हो लेकिन सामाजिक क्रियाकलापों में दूरियाँ अभी भी बनी हुई है, स्थिति तनावपूर्ण तब और हो जाती है जब चुनाव के दौरान जहाँ एक ओर दलित के हितो की गारंटी का आश्वासन दिया जाता है, वही दूसरी ओर उन्हें मत देने से रोकना, मारपीट करना, धमकी देना, जैसे तरीके से प्रताड़ित किया जाता है।

Received: 17.08.2021 **Accepted:** 24.09.2021 **Published**: 24.09.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.04.02.09
Multidisciplinary, Open Access

आज इस सत्य को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि जिस आरक्षण व्यवस्था को सदियों से उपेक्षित, उत्पीड़ित और शोषित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से लाया गया था, वहीं आरक्षण अब जाति आधारित समाज के बटवारे और जातिवाद की राजनीति व वोट बैंक का जरिया बन गया है। बड़ी संख्या में अब कई जातियाँ आरक्षण की माँग कर रही है। कई राज्यों में गुर्जर समाज के अलावा राजस्थान में ब्राहम्ण और राजपूत जैसी अगड़ी जातियाँ भी आरक्षण की माँग कर रही है। आरक्षण के लागू होने से आज तक इसके दायरे में बहुतेरी जातियाँ शामिल हो गई है। यही वजह है कि जातिगत भेद–भाव मिटने की जगह विभिन्न जातियाँ अपने–अपने संगठन बनाकर आरक्षण की लड़ाई लड़ रही हैं। जिससे जातिगत भेद–भाव और गहरे होते जा रहे है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस तरह यदि देखा जाए तो जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर डॉ० भीमराव रामजी अम्बेडकर ने शोषित वर्ग के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया, आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी ये लक्ष्य और उद्देश्य पूरी तरह साकार होते नजर नहीं आते। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि कौन–सा ऐसा मार्ग अपनाया जाए जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता जैसी तमाम बुराइयों को दूर कर समाज में आपसी सौहार्द्र, भाईचारा, स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय की स्थापना हो सके। जिसके लिए कुछ आवश्यक सुझाव निम्न है।

1. अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु गैर अनुसूचित जातियों को भी कुरीतियों, कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों से ऊपर उठकर उनका मार्गदर्शन करना होगा। जिससे एक श्सभ्य मानव समाज की स्थापना हो सके।

2. डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की तर्ज पर भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों को वैज्ञानिक ढ़ंग से दूर किया जाय और अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय।

3. अस्पृश्यता निवारण के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक पहलुओं का प्रचार–प्रसार कर सवर्ण जातियों के विचारों व मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा।

4. अनुसूचित जातियों के साथ समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े उन गैर–अनुसूचित जातियों को भी जीने का समान अवसर उपलब्ध हो, इस हेतु आरक्षण के स्वरूप में आधारभूत परिवर्तन लाना होगा।

Received: 17.08.2021 **Accepted:** 24.09.2021 **Published**: 24.09.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 04, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.04.02.09
Multidisciplinary, Open Access

5. समाज में आर्थिक समानता, सामंजस्य, समन्वय एवं मैत्री भावना को विकसित करने हेतु अनुसूचित जातियों और मेर अनुसूचित के ऐसे परिवारों या व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाए जो क्रिमीलेयर की श्रेणी में आते हो। अन्यथा वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब आरक्षित कोटे में आरक्षण की मांग उठती नजर आएगी।

6. अनुसूचित जाति पर समाज द्वारा किए गए अपराधो को दृष्टिगत रखते हुए यह सुझाव आवश्यक हो जाता है कि नियमों और कानूनों का कड़ाई से पालन करने के साथ साथ समाज की मानसिकता बदलने की दरकार है।

सन्दर्भ–सूची

1. एन. सिंह सुश्री मायावती और दलित चिन्तनष प्रकाशन साहित्य संस्थान, गजियाबाद
2. धर्मवीर महराज व कमलेश महराज– ष्भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्यष विवेक प्रकाशन दिल्ली, 2006 पृष्ठ संख्या 04
3- www.wikipedia.org
4. सम सामाजिक घटना चक्र अतिरिक्तांक– सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 1 घटना चक्र प्रकाशन, 8/9 विश्वविद्यालय मार्ग, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 214–215
5. राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र– संपादकीय अंश, शीर्षक–अपने ही लूट रहे उनका कोटा, 15 अगस्त 2011
6. राम आहूजा सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर 2004, पृष्ठ संख्या 163
7. www.ncrb.nic.in
8. सच्चिदानन्द हरिजनों में अभिजात वर्ग का उदयष मंथन वर्ष 5 अंक 2 फरवरी 1982 पृष्ठ संख्या 67–72
9. महेश्वरदत्त, गांधी, अम्बेडकर और दलित, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005 पृ०सं०160
10. आर०जी० सिंह०, नेचर, एक्सटेंट, काजेज एण्ड कन्ट्रोल ऑफ एटोसिटीज, आन शिड्यूल कास्ट्स इन मध्य प्रदेश (प्रोजेक्ट रिपोर्ट). (महूरू डॉ० अम्बेडकर संस्थान, 1997) पृ०सं० 31–39

Received: 17.08.2021 **Accepted:** 24.09.2021 **Published**: 24.09.2021

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.